भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3106

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऑपरेशनल मेट्रो रेल सिस्टम की समय-समय पर सुरक्षा संपरीक्षा

†3106. श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का मेट्रो रेल सुरक्षा के आयुक्त के माध्यम से चालू मेट्रो रेल प्रणालियों के अनिवार्य आवधिक सुरक्षा संपरीक्षा शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सी.एम.आर.एस.) के मौजूदा ढांचे को प्रारंभ किए जाने के बाद चालू मेट्रो रेल प्रणालियों के आवधिक निरीक्षण का प्रावधान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मेट्रो रेल प्रणालियों के अधिक बार निरीक्षण और सुरक्षा संपरीक्षा के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सी.एम.आर.एस.) की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू मेट्रो रेल प्रणालियों के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सी.एम.आर.एस.) द्वारा किए गए सुरक्षा ऑडिट का मेट्रो-वार ब्यौरा क्या है, साथ ही इस संबंध में की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) जी, नहीं।

(ख) मेट्रो रेल (संचालन एवं रखरखाव) अधिनियम, 2002 की धारा 8 में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) के कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान निहित हैं।

(ग) जी, नहीं। मेट्रो रेल और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) में सुस्थापित सेफ्टी ऑडिट और निरीक्षण प्रक्रियाएं विद्यमान हैं जो आवधिक रूप से की जाती हैं।

(घ) मेट्रो रेल (संचालन एवं रखरखाव) अधिनियम, 2002 के तहत मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) को सौंपे गए कर्तव्यों में सेफ्टी ऑडिट कराना सम्मिलित नहीं है।
